

अनुसूची 4
[विनियम 5(4) देखें]

विशेष अनिवासी रुपया खाता - SNRR Account

1. भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसका भारत में कारोबारी हित है, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास सदाशयी लेनदेन के लिए इस अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन न करते हुए रुपए में विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR Account) खोल सकता है।
2. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए।
3. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते के परिचालन के परिणामस्वरूप खातेधारक द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को रुपये के बदले अथवा किसी अन्य प्रकार से विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं करानी चाहिए।
4. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
5. खातेधारक द्वारा प्रस्तावित कारोबार के लिए ही विशिष्ट / प्रासंगिक नामे और जमा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से होने चाहिए।
6. प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खातेधारक के परिचालनों के अनुरूप ही खाते में जमा शेष होना चाहिए।
7. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से सभी परिचालन उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए।
8. खातेधारक की संविदा अवधि / के कारोबारी परिचालन की अवधि के अनुरूप विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते की अवधि होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह सात वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे खाते के खोले जाने से सात वर्षों की अवधि के उपरांत इससे कोई परिचालन करने की अनुमति नहीं है।
9. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में जमा शेष प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगा।
10. अनिवासी साधारण खाते से विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में अंतरण पर रोक है।
11. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए सभी लेनदेन भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन हैं।
12. यदि खाताधारक निवासी बन जाता है तो उसके विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते को निवासी रुपया खाते में नामित किया जाना चाहिए।

13. मृत खाताधारक के खाते में अनिवासी नामिती को देय / भुगतान योग्य राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक के पास नामिती के रखे एनआरओ खाते में जमा की जाएगी ।
14. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए लेनदेन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उसे रिपोर्ट किए जाने चाहिए।
15. पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रिकों और पाकिस्तान और बांग्लादेश में निगमित कंपनियों (संस्थाओं) द्वारा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित होगा।